

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3438] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939 No. 3438] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3934 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में उसी तारीख को प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 3348(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 1(6)/2016-एसपी-I]

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) ORDER

New Delhi, the 19th December, 2017

S.O. 3934(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955(10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) number S.O. 3348(E), dated the 28th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No.1(6)/2016-SP-I]

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)

7234 GI/2017